भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2179
20 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

मात्स्यिकी क्षेत्र हेतु योजना

2179. श्री मद्दीला गुरुमूर्ति:
श्री एम.वी.वी. सत्यनारायणः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण होने वाले नुकसान को कवर करने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के समकक्ष मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए भी कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में ऐसी कोई योजना शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों से होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए जलकृषि फसल बीमा पर एक पायलट योजना तैयार की है। अब तक केवल आंध्र प्रदेश राज्य ने इसके कार्यान्वयन के लिए सहमति दी है । इस योजना में *अन्य बातों के साथ-साथ* ताजे पानी में मत्स्यपालन के लिए 270 दिनों की एक फसल और 135 दिन प्रति फसल के अनुपात से झींगा पालन की दो फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने की परिकल्पना की गई है और रोके न जा सकने वाले खतरे जैसे गर्मी की मार, प्रदूषण, जहर, दंगा और हड़ताल, अन्यों द्वारा दुर्भावनापूर्ण कार्य, भूकंप, विस्फोट/अन्तरगामी विस्फोट, तूफान, चक्रवात, बाढ़, जल भराव और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज के नुकसान को कवर किया गया है।

***